



Neutral Citation No. -

2026:AHC:62456

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या – 2333 वर्ष 2026

सतीश चंद्र जैन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: आदर्श ओझा, अश्विनी कुमार ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
3. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0006/2026, धारा 111, 318, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(3), बी.एन.एस., 2023, पुलिस स्टेशन - तालबेहट, जिला ललितपुर में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ताका कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करता है:
 - i. आवेदक लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड शिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (जिसे आगे "एलयूसीसी" कहा गया है) का एजेंट है।
 - ii. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iii. एलयूसीसी द्वारा परिपक्वता राशि के भुगतान में चूक के कारण आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न मामलों में फंसा हुआ है।

iv. आवेदक अन्य सभी मामलों में जमानत पर है।

v. एलयूसी के परिसमापन की कार्यवाही चल रही है और एक बार परिसमापक नियुक्त हो जाने के बाद, कंपनी के विरुद्ध कोई शिकायत रखने वाला या कंपनी से कोई बकाया राशि प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति परिसमापक से संपर्क कर सकता है।

vi. यदि कंपनी परिपक्वता राशि का भुगतान करने से इनकार करती है या असमर्थ है, तो आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

vii. आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य में 14 आपराधिक मामलों में आरोपित है और उक्त सभी मामलों में, वर्तमान मामले को छोड़कर, आवेदक जमानत पर है।

viii. इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन और रामनरेश साहू, जो एलयूसी के एजेंट भी थे, को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 और 19.03.2026 के आदेशों के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। ये आदेश आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2490/2026 और 2113/2026 में क्रमशः पारित किए गए थे।

5. माननीय ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने जमाकर्ताओं से अरबों रुपये की धोखाधड़ी की है; इसलिए उसे किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, वे आवेदक द्वारा आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण से असहमत नहीं हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

7. आवेदक को एलयूसीसी का एजेंट बताया गया है। एफआईआर में दर्ज आरोपों का सार, जो बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन के आधार पर दीपक और 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है, यह है कि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने एलयूसीसी में कुछ राशियाँ सावधि जमा और आवर्ती जमा के रूप में जमा की थीं। हालांकि, आवर्ती जमा और सावधि जमा की परिपक्वता तिथि वर्ष 2024 में होने के बावजूद, उक्त राशियाँ वापस नहीं की गईं। आवेदक न तो कंपनी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का निदेशक है और न ही वह कंपनी के मामलों का प्रभारी बताया गया है। इसी तरह की स्थिति में सह-आरोपी आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन और रामनरेश साहू, जो एल्यूसी के एजेंट भी थे, को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2026 और 19.03.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2490/2026 और 2113/2026 में पारित आदेशों के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

8. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और वह केवल एक एजेंट है। वर्तमान मामले को छोड़कर वह सभी मामलों में जमानत पर है। आवेदक पर लगाई गई जमानत की शर्तों के दुरुपयोग का कोई आरोप विद्वान ए.जी.ए. द्वारा नहीं लगाया गया है।

9. मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ, जब तक कि बी.एन.एस.एस. की धारा 193(3) के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती।

10. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

11. आवेदक सतीश चंद्र जैन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उक्त मामले में अपराध में संलिप्त होने पर, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि बी.एन.एस.एस. की धारा **193(3)** के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं हो जाती, बशर्ते वह पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करे। निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

25 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"